न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
(राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :— 30 / 2017
दायर दिनांक :— 27 / 06 / 2017
निर्णय दिनांक :— 29 / 11 / 2019

अनवान

1. श्री देवीलाल पिता खमाण जाति जाट, आयु 31 वर्ष निवासी सरवडियाखेडी, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

———निगराकार

बनाम

1. श्रीमती मन्जु पिता मांगीदास वैष्णव आयु व्यस्क निवासी सरवडियाखेडी तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द
2. ग्राम पंचायत राजपुरा जरिये सचिव ग्राम पंचायत राजपुरा पंचायत समिति रेलमगरा तहसील रेलमगरा,जिला राजसमन्द

———गैर निगराकार

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994
ग्राम पंचायत राजपुरा द्वारा जारी पट्टा संख्या 21 दिनांक 20.10.2008 के विरूद्ध निगरानी

उपस्थित :—

1— श्री अक्षय पालीवाल, अधिवक्ता निगराकार
2— श्री मुकेश शर्मा, अधिवक्ता गैर निगराकार

—: निर्णय :—

प्रस्तुत निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । ग्राम पंचायत राजपुरा के ग्राम सरवडियाखेडी तहसील रेलमगरा में फतहनगर जाने वाली आम सडक से गांव सरवडियाखेडी में जाने वाले रास्ते के पास पंचायत की भूमि स्थित है जिसमें एक तरफ पडत आबादी भूमि एवं दुसरी तरफ विद्यालय की भूमि है। विपक्षी संख्या एक एवं उसके भाई एवं विपक्षी संख्या एक के पिता ने तत्कालीन ग्राम पंचायत की बेशकिमती जमीन जो पडत पडी हुई थी एवं पडत पडी हुई हैं पर पुश्तैनी मकान बने हुए होना बता कर फर्जीवाडा कर गलत तरीके से राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 157 के तहत् प्राप्त किये हैं। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटटे से व्यथित होकर यह निगरानी पेश की है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर जिला-राजसमन्द

निगरानी दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी तथा शामिल मिसल की गई।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । अधिवक्ता निगराकार ने अपनी बहस में कथन किया है कि गैर निगराकार द्वारा बनाया गया पट्टा फर्जी एवं कुटरचित है। ग्राम सरवडियाखेडी तहसील रेलमगरा में फतहनगर जाने वाली आम रोड के पास ग्राम पंचायत की भूमि स्थित हैं उक्त भूमि के पास रेलमगरा से फतहनगर जाने वाली आम सडक से गांव सरवडियाखेडी में जाने वाला रास्ता हैं इस रास्ते के एक तरफ विद्यालय की भूमि और दुसरी तरफ पडत आबादी भूमि स्थित है। निगराकार सरवडियाखेडी आम रास्ते पर ग्राम पंचायत की स्वीकृती से स्वागत द्वार का निर्माण करवा रहा हैं जिसके संबंध में विपक्षी संख्या एक के भाई व पिता ने नाजायज रूप से निर्माण कार्य में अवरोध पैदा करने के लिए एक वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय रेलमगरा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका मुकदमा नं0 12 सन् 2017 ई0दी0 मांगीदास बनाम बद्रीलाल व अन्य हैं और उक्त वाद में विपक्षी संख्या एक एवं उसके पिता मांगीदास ने यह कथन करते हुए वाद प्रस्तुत किया कि सरवडियाखेडी जाने वाले रास्ते के दक्षिण दिशा में दो प्लोट विपक्षी संख्या एक एवं उसके पिता के हैं जो ग्राम पंचायत द्वारा उन्हे आवंटन किये गये हैं और इन भूखण्डो के सामने प्रार्थी एवं उसके परिवार वाले ग्राम पंचायत की स्वीकृती से जो स्वागत द्वार बना रहे हैं इससे इनके भूखण्डो की सुन्दरता समाप्त हो जाएगी और इन भूखण्डो पर ये सुविधानुसार उपयोग उपभोग नहीं कर पायेगें और इन्ही तथ्यों के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके मु0 न0 7 सन् 2017 मु0 दी0 हैं। प्रकरण संख्या 7 सन् 2017 मु0 दी0 में दिनांक 20.02.2017 को अधीनस्थ न्यायालय ने विपक्षी संख्या एक का प्रार्थना पत्र खारीज कर दिया जिसके विरूद्ध विपक्षी संख्या एक एवं उसके पुत्र ने जिला न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो बाद सुनवाई खारीज हुई जिसमे विपक्षी संख्या एक ने ग्राम पंचायत द्वारा भूखण्ड आवंटित करने को आधार बनाया। इसके अलावा विपक्षी संख्या एक ने प्रार्थी के विरूद्ध एक वाद अपने मिलने वालों से प्रस्तुत कराया है। विपक्षी एक के उक्त अवैध एवं फर्जी पट्टो के कारण स्वागत द्वार नहीं बनवा पा रहा है इन अवैध पट्टों के कारण प्रार्थी का कार्य प्रतिकुल रूप से प्रभावित हो रहा हैं। प्रार्थी ने विपक्षी संख्या एक के द्वारा ऊपर वर्णित वाद की कार्यवाही में जिन पट्टो के आधार पर अभिवचन किये हैं उनकी पत्रावलीयों की नकलें निकलवाई जो जाहिर आया कि विपक्षी संख्या एक एवं उसके पिता एवं विपक्षी संख्या एक की बहन मन्जु देवी ने तत्कालीन ग्राम पंचायत की बेशकिमती जमीन जो पडत पडी हुई थी एवं पडत पडी हुई हैं पर पुश्तैनी मकान बने हुए होना बता कर फर्जीवाडा कर गलत तरीके से राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 157 के तहत् प्राप्त किये हैं। आक्षेपित पट्टा जारी करने में विधि संबंधित एवं तथ्य सम्बन्धित भूल की हैं। आक्षेपित पट्टा मिथ्या कथन कर एवं ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर प्राप्त किया हैं। यह पट्टा अन्तर्गत धारा 157 के राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत् जारी किया गया हैं इस नियम के तहत् जारी किया जाता हैं उसमे पुराना बना हुआ मकान जो आबादी में स्थित रहते हैं उन्ही को दिया जाता हैं यानि पुराने बने मकान का विनियमितीकरण के तहत् कब्जेधारी को बने हुए मकान का पट्टा दिया जा सकता हैं जबकि इस मामले में जो पट्टा जारी किया गया वह बिना कब्जे की पडत आबादी भूमि जहां न तो पहले से मकान बना हुआ था न ही वर्तमान में मकान बना हुआ हैं का पट्टा विधि

विरूद्ध जारी किया हैं। उक्त भूमि पडत आबादी भूमि रही हैं विपक्षी संख्या एक स्वयं ने जो वाद प्रस्तुत किया हैं उसमें भूखण्ड जब आवंटित किया उस समय आबादी की पडत जमीन पडी हुई थी और आवंटित किया उस समय आबादी की जमीन पडत पडी हुई थी और आवंटन के पश्चात विपक्षी ने पत्थर की चार दिवार बनाई यानि वर्ष 2002 में उक्त आक्षेपित पट्टे का भूखण्ड पडत भूमि थी जिसे विपक्षीगण ने मिलीभगत कर पुश्तैनी मकान होना बता पडत भूमि का नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया जो काबिल खारीज के हैं। उक्त मामले में जो मौका निरीक्षण किया गया वह भी गलत किया गया हैं, विपक्षी संख्या एक के स्वयं की स्वीकारोक्ति हैं कि भूमि पडत रही और उसके पश्चात् आवंटन के समय चार दिवारी की जब यह स्थिति रहती हैं तो जो मौका निरीक्षण रिपोर्ट इस मामले में प्रस्तुत हुई हैं वह असत्य हुई हैं बिना कोई मकान के ही मौका निरीक्षण रिपोर्ट में मकान स्थित होना और 25 वर्ष से अधिक समय से वहां निवास करना स्वयं में असत्य हैं, सारी कार्यवाही मिथ्या एवं मिलीभगत कर फर्जी रूप से ग्राम पंचायत की बैशकिमती भूमि को हडपने के उद्धेश्य से की गई हैं। उक्त भूमि रेलमगरा से फतहनगर जाने वाली आम सडक के पास स्थित होकर बैशकीमती भूमि है। तत्कालीन सचिव व सरपंच से मिलीभगत कर विपक्षी एक व उसके परिवार वालों ने मिलीभगत कर पडत भूमि को पुश्तैनी मकान बता कर के 200 रूपये में भूमि हडपने की नियत से सारी कार्यवाही की हैं। विपक्षी संख्या एक एवं उसके पिता मांगीदास एवं उसकी बहन मन्जु ने एक समान कथन कर पडत भूमि पर तीनो के मकान होना बता कर पट्टे बनाये हैं उन दोनो के पट्टो की निगरानी भी प्रस्तुत की जा रही हैं। आक्षेपित पट्टे जारी करने में पंचायतीराज अधिनियम एवं नियमो की पालना नहीं की गई।

अतः निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर विपक्षी संख्या एक के पक्ष में पट्टा संख्या 21 दिनांक 20.10.2008 को जारी किया गया पट्टा निरस्त फरमाया जावें।

गैर निगराकार के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अवगत कराया कि प्रार्थी ने तथ्य के रूप में गलत बाते लिखी हैं। निगरानीकार ने जो निगरानी प्रस्तुत की उसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विपक्षी सं0 एक के पक्ष में ग्राम पंचायत राजपुरा द्वारा जारी पट्टा सं0 21 दिनांक 20.10.2008 के विरूद्ध निगरानी इस आशय की पेश की कि ग्राम सवरडियाखेडी तहसील रेलमगरा से फतहनगर जाने वाली सड़क के पास पंचायत की भूमि स्थित है जिसमें एक तरफ पड़त आबादी भूमि एवं दुसरी तरफ विद्यालय की भूमि जहां पर निगरानीकार आम रास्ते पर ग्राम सरवडियाखेडी आम रास्ते पर विपक्षी सं0 दो से स्वीकृति लेकर स्वागत द्वार का निर्माण कार्य कर रहा था। जिसे रूकवाने बाबत् विपक्षी सं0 एक के पिता ने न्यायालय में वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र सिविल न्यायाधीश रेलमगरा व जिला न्यायाधीश रेलमगरा व जिला न्यायाधीश राजसमन्द से खारिज हो चुके है। एवं उक्त वाद प्रस्तुत करने से पट्टे की जानकारी होने से निगरानी न्यायालय में प्रस्तुत की। निगरानीकार ने मुख्य रूप से अपनी निगरानी का यह आधार लिया कि उनके पक्ष में जो पट्टे जारी किये गये वह अवैध है क्योंकि उनके पास पहले से मकान हैं। एवं पंचायती राज नियम के अनुरूप नहीं हैं तथा न ही विधिवत् रूप से आक्षेप आमंत्रित किये गये। जिससे प्रतिवादी संख्या एक को प्रतिवादी संख्या

दो के द्वारा दिनांक 20.10.2008 को जो पट्टा जारी किया गया उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया। निगरानीकार ने सर्वप्रथम जो निगरानी के आधार लिये वह अवैध है। केवल मात्र रंजिशवश निगरानीकार ने विपक्षी सं0 एक के विरूद्ध प्रस्तुत की क्योंकि निगरानीकार द्वारा जो स्वागतद्वार बनाया जा रहा था उसे रूकवाया गया। जिस हेतु उसने अपनी निगरानी प्रस्तुत की जो निरस्त होने योग्य है। पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 के तहत राज्य सरकार अथवा हितबद्ध व्यक्ति ही किसी पंचायती राज के आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत कर सकता है। जिसमें निगरानीकार ने अपनी सम्पूर्ण निगरानी में यह तथ्य कहीं पर भी अंकित नहीं किये कि उक्त निगरानी प्रस्तुत करने में उसका हित किस प्रकार से प्रभावित हुआ है अथवा उसका हित किस प्रकार है जिससे भी निगरानीकार की निगरानी निरस्त होने योग्य है। निगरानीकार ने जो पूर्व में संस्थित प्रकरण में स्थगन खारिज किया गया उसके संबंध में तो अपनी निगरानियों में तथ्य उल्लेखित किये किन्तु धारा 91 व्य.प्र.स. के वाद में न्यायालय द्वारा जो बअनवान भोपालसिंह बनाम अम्बालाल प्रकरण संख्या 11/2017 मु.दी. के प्रकरण के तथ्य कहीं उल्लेखित नहीं किये गये जबकि निगरानीकार इस प्रकरण में भी पक्षकार है जिसकी तामिल भी करवाई गई जिससे निगरानीकार की निगरानी निरस्त होने योग्य है। निगरानीकार ने अपने निगरानी में बार बार यह शब्द अंकित किये कि विपक्षी सं. एक के पक्ष में जो पट्टा जारी किया गया वह अवैध है। किन्तु किस प्रकार अवैध है इसका कहीं पर भी अंकन नहीं किया गया है जबकि विपक्षी संख्या 2 ने विधिवत् मिसल कायम कर पट्टे जारी किये गये, उसकी सम्पुर्ण जानकारी निगरानीकार को चली आ रही है। किन्तु उनके द्वारा स्थगन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया उसके पश्चात् यह निगरानी प्रस्तुत की गई। निगरानी प्रस्तुत करने में जो विलम्ब लगा है उसके कण्डोन संबंधित निगरानीकार ने न तो अपनी निगरानी में अंकित किये नही उनके द्वारा पृथक से धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत कोई प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया जबकि निगरानी प्रस्तुत करने की समय सीमा 90 दिवस है। जिससे निगरानीकार की निगरानी सर्वप्रथम मयाद के बिन्दु पर निरस्त होने योग्य है। जहां तक निगरानीकार ने तथाकथित पट्टे को शुन्य बताया है एवं शुन्य के संबंध में मयाद के बिन्दु पर मुख्य रूप से बताया गया कि शुन्य दस्तावेज के संबंध में मयाद अधिनियम प्रभावित नहीं होती है किन्तु उसके संबंध में निगरानीकार ने ऐसा कोई कानुन प्रस्तुत नहीं किया तथा शुन्य इकरार के संबंध में भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 के तहत असक्षम पक्षकारों द्वारा किये गये इकरार, धारा 20 के तहत करार जिसमें दोनों पक्षकार तथ्य की भुल पर हो, धारा 21 के तहत करार जिसमें दोनों पक्षकार विदेशी विधि की भुल पर हो, धारा 23 के अनुसार करार जिनका प्रतिफल या उद्धेश्य भागतः विधि विरूद्ध हो, धारा 25 के तहत बिना प्रतिफल वाल करार, धारा 26 के तहत विवाह के अवरोधक करार, धारा 27 के तहत व्यापार में अवरोध करार, धारा 28 के तहत विधिक कार्यो के अवरोध करार, धारा 29 के तहत अनिश्चित अर्थ वाले करार, धारा 30 पद्यम के तोर के करार एवं धारा 36 के अनुसार असम्भव घटनाओं पर आश्रित करार को शुन्य करार के तहत परिभाषित किया गया है। किन्तु निगरानीकार द्वारा अपनी सम्पूर्ण निगरानी में अवैध एवं शुन्य करार (दस्तावेज करार) किस प्रकार है एवं उक्त धाराओं में से किस धारा के तहत है इसका कहीं अंकन नहीं किया है जिससे उनकी निगरानी मयाद अधिनियम से बाधित होने से निरस्त होने योग्य है। निगरानीकार ने ग्राम पंचायत से जो अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया उसका भी खण्ड़न किया है। एवं आम सड़क को एवं रास्ते

को संकरा किया है। जिससे ग्राम वासियों की तरफ से न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय रेलमगरा में धारा 9 व्य.प्र.सं. के तहत वाद एवं उसके साथ स्थगन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें न्यायालय ने स्थगन का आदेश जारी किया जो आज भी प्रभावी है जिनकी आदेशिकाऐं एवं प्रार्थना पत्र लिखित बहस के साथ प्रस्तुत किये जा रहे है। जिससे भी निगरानीकार की निगरानी निरस्त होने योग्य है। यह कि निगरानीकार ने केवल मात्र विपक्षीगण पर उनके द्वारा किये जा रहे अवैध निर्माण कार्य को रूकवाने से न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है उस वाद को हटवाने बाबत दबाव बनाने की नियत से उक्त निगरानी प्रस्तुत की है। जिससे निगरानीकार की निगरानी निरस्त होने योग्य है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पट्टे विधि विरूद्ध जारी किये गये हैं। अधिवक्ता निगराकार ने न्यायालय सिविल न्यायाधीश रेलमगरा एवं न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, राजसमन्द में भी विवादग्रस्त भूमि/पट्टे के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये हैं। जिन्हें न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है। उक्त प्रकरण में अधिवक्ता निगराकार द्वारा बताया गया कि मौके पर उक्त भुखण्ड पर चार दिवारी बनी हुई है। जबकि गैरनिगराकार द्वारा ग्रामपंचायत में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में पुराने मकान का पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। उससे भी ऐसा प्रतीत होता है कि गैरनिगराकार ने पंचायत से मिलीभगत कर पट्टा जारी करवाया है। ग्राम पंचायत की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख आज्ञाओं की सूची में गैरनिगराकार को जारी पट्टा पुश्तैनी मकान का जारी किया गया हैं, जबकि विवादग्रस्त पट्टे पर मकान बना न होकर केवल भूखण्ड है। शपथ पत्र पर गैर निगराकार द्वारा कब्जा 23 वर्ष एवं स्वयं की उम्र भी 23 वर्ष बतायी गयी है। स्थल मौका निरीक्षण रिपोर्ट मकान पर कब्जा करीब 25 वर्षो से भी अधिक अवधि का बना होना बताया गया है। जो कि संदेहास्पद स्थिति पैदा करते है। ग्राम पंचायत ने वादग्रस्त पट्टा जारी करने में पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं की गई। वादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थी का कोई मकान निर्मित नहीं हैं, केवल भूखण्ड है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 157 के तहत मकान का पट्टा कैसे जारी किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त निगरानी याचिका स्वीकार करना न्योयचित समझते है। अतः निगराकार की निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत राजपुरा द्वारा जारी पट्टा संख्या 21 दिनांक 20.10.2008 को निरस्त किया जाता है। विकास अधिकारी रेलमगरा को निर्देश दिये जाते हैं कि वे तत्कालीन सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत राजपुरा के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में दर्ज करावे।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द